उत्तर प्रदेश शासन,
परिवहन अनुभाग--4
संख्या--1046 / 30--4--2012--4(04) / 2010
लखनऊ:दिनांक: 07 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या--10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 96 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या--965 / तीस--4--12--4(4)--2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तर प्रदेश मोटरयान (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जाएगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 162 का संशोधन	2.उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998, में नीचे स्तम्भ--1 में दिये गये नियम--162 के स्थान पर नीचे स्तम्भ--2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ--1 विद्यमान नियम	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
162. परिवहन यानों का रंगा जाना--(1) नियम 110 और उपनियम (2)के अध्यधीन रहते हुये चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप कमाण्डर कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग में रंगी जायेगी:-- (क) सफेद (ख) काला (ग) हरा (2) प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी। परन्तु यह कि यह उपनियम पर्यटन मोटर टैक्सी और विदेशी	162. परिवहन यानों का रंगा जाना--(1) नियम 110 और उपनियम (2)के अधीन रहते हुये चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग में रंगी जायेगी:-- (क) सफेद; (ख) काला; (ग) हरा; (2)नगर क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालन हेतु अनुज्ञात प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेंगी: परन्तु यह कि सी0एन0जी0

	मेक की मोटर टैक्सी पर जिसकी अश्वशक्ति चौबीस या अधिक हो, लागू नहीं होगा।	चालित तिपहिया यानों के लिए रंग या रंग संयोजन ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाय: परन्तु यह और कि यह उपनियम, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली,1989 के नियम--85क में विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सियों पर लागू नहीं होगा।
	(3)सेना के किसी मोटर यान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटरयानों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रंग से भिन्न रंग में न रंगा गया हो। स्पष्टीकरण-. इस नियम के प्रयोजनों के लिए पर्यटन मोटर टैक्सी का तात्पर्य किसी ऐसे मोटर टैक्सी से है, जिसे विदेशी पर्यटकों की मात्र सवारी के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा ठेका गाडी परमिट जारी की गयी हो।	(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट यानों से भिन्न ठेका गाडी को मैरून या काला या लाल रंग से भिन्न किसी रंग में रंगा जायेगा और ऐसे यान की बॉडी के बाह्य भाग के मध्य पर पांच सेन्टीमीटर के मैरून रंग का फ्लोरेसेन्ट क्षैतिज चिन्ह होगा तथा मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी की दशा में 60 सेन्टीमीटर व्यास और मोटर टैक्सी की दशा में 25 सेन्टीमीटर व्यास के सर्किल के भीतर ठेका गाडी के दोनों ओर शब्द "ठेका गाडी" उल्लिखित किये जायेंगे। (4) सेना के किसी मोटरयान से भिन्न किसी मोटरयान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सेना के मोटरयानों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रंग से भिन्न किसी रंग में न रंगा गया हो।

आज्ञा से,

बी०एस० भुल्लर
प्रमुख सचिव,